ब–अदालत, अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0ए0 केश नं0– 01 / 15–16

दिलीप कुमार किस्कू बनाम् रैयान, मौजा–सिझुआ

5.04.18

–: आदेश :–

वर्त्तमान प्रकिया आवेदक दिलीप कुमार किस्कू, पे0–स्व0 रसीकलाल किस्कू, सा0–सिझुआ, अंचल–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा 6 के तहत् मौजा–सिझुआ नं0–71 के प्रधान की मृत्यु के फलस्वरूप रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन किया गया है।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन की जांच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के पत्रांक–323 / रा0, दिनांक–02.08.2018 से प्राप्त है। जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा– सिझुआ नं0–71 प्रधानी मौजा है। आवेदक मौजा–सिझुआ, थाना नं0–71 के अंतर्गत जमाबंदी नं0–11 के जमाबंदी रैयत छोटाराई किस्कू के परपोता है। आवेदक के पिता–स्व0 रसीकलाल किस्कू, उक्त प्रधानी मौजा के अंतिम प्रधान थे, जिसकी मृत्यु दिनांक–26.11.2015 को हो गई। आवेदक दिलीप कुमार किस्कू गत प्रधान स्व0 रसीकलाल किस्कू के एक मात्र पुत्र हैं। अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा 6 के तहत् वंशानुगत आवेदक दिलीप कुमार किस्कू को मौजा– सिझुआ नं0–71 का प्रधान नियुक्त करने के लिए अनुशंसा किया गया है।

मौजा के सोलह आना रैयतों को प्रधानी नियुक्ति आवेदन पर आपत्ति देने हेतु इस न्यायालय के डी0बी0 सं0–478 / रा0, दिनांक–28.02.2018 द्वारा नोटिस तामिला हेतु भेजा गया। सोलह आना रैयतों से नोटिस तामिला कराया गया। किसी भी व्यक्ति या प्राधिकार द्वारा उक्त नियुक्ति पर कोई आपत्ति प्राप्त नही हुआ है। इससे स्पष्ट है कि आवेदक मौजा के सोलह आना रैयतों से सामान्यतः स्वीकार्य योग्य है तथा संथाल परगाना काश्तकारी नियम 1950 के तहत् वर्णित किसी भी प्रकार की अयोग्यता से संबंधित प्रतिवेदन अप्राप्त है।

अतः आवेदक के आवेदन के विरूद्ध मौजा के सोलह आना रैयतों से किसी भी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने तथा अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के जांच प्रतिवेदन के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत् मौजा– सिझुआ, थाना नं0–71 का प्रधान नियुक्त किया जाता है। नवनियुक्त प्रधान को आदेश दिया जाता है कि वे एक वर्ष का खजाना कोषागार में जमाकर चलान की प्रति के साथ संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम की धारा–7 के तहत् कबूलियत और जमानत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करेंगे।

25/4/18

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Scanned with CamScanner